कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

(85)

पत्रांकः– 809 दिनांकः– 14.7.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– हजारीबाग जिला अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के मौजा–नावाडीह में 132/33 के0भी ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.048 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 1834 दिनांक 09.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबध में सूचित करना है कि विषयक परियोजना में झारखण्ड सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड रांची का पत्र संख्या– वनभूमि–19/2019–2105 व0प0 दिनांक 13.06.2019 द्वारा 13 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक सहमति (स्टेज–1) प्रदान की गई है। इस प्रस्ताव में हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के मौजा नावाडीह में ग्रीड सबस्टेशन निर्माण हेतु 4.048 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) का अपयोजन होना है। स्टेज–1 शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 1834 दिनांक 09.07.2019 द्वारा इस कार्यालय में हुआ। अनुपालन की बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	झारखण्ड सरकार द्वारा लगाये गये शर्त	अनुपालन की स्थिति
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता पत्र संलग्न है। **अनुलग्नक1**
2	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या WP(C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 4.048 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस शर्त का अनुपालन करते हुए परियोजना में अपयोजित होने वाली 4.048 हे0 वनभूमि के NPV की राशि रू. 2534048.00, झारखण्ड कैम्पा खाता संख्या– 150727335726226 IFSC code-CORP0000371, Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO complex, Phase 1, Lodhi road, New Delhi- 110003 में ऑनलाईन चालान जेनरेट करते हुए जमा करा दी गई है। **अनुलग्नक 2**
3	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता पत्र संलग्न है। **अनुलग्नक 3**
4	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि रू. 2534048.00, झारखण्ड कैम्पा खाता संख्या– 150727335726226 IFSC code-CORP0000371, Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO complex, Phase 1, Lodhi road, New Delhi-110003 में ऑनलाईन चालान जेनरेट करते हुए जमा करा दी गई है।जो भारत सरकार के Parivesh Portal पर Paid दिख रहा है। **अनुलग्नक 2A**

क्र0 सं0	झारखण्ड सरकार द्वारा लगाये गये शर्त	अनुपालन की स्थिति
5	प्रस्तावति वनभूमि में ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के क्रम नें कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 59 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जाएगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों का पातन वन प्रमण्डल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता पत्र संलग्न है। **अनुलग्नक 5**
6	ग्रिड से जो तार बाहर खींचे जाये, उनमे से सबसे निचले तार की जमीन से उंचाई लगभग 20 फीट रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता पत्र संलग्न है। **अनुलग्नक 6**
7	ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता पत्र संलग्न है। **अनुलग्नक 7**
8	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता पत्र संलग्न है। **अनुलग्नक 8**
9	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता पत्र संलग्न है। **अनुलग्नक 9**
10	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता पत्र संलग्न है। **अनुलग्नक 10**
11	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता पत्र संलग्न है। **अनुलग्नक 11**
12	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता पत्र संलग्न है। **अनुलग्नक 12**
13	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता पत्र संलग्न है। **अनुलग्नक 13**

67

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज–I में लगाई गई सभी शर्तो का अनुपालन किया गया है अथवा वचनबद्धता दी गई हैं। अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु अंतिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाए। संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अनु0:–यथोक्त।
अनुपालन तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन
ह0 / –
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– दिनांक :

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 809 **दिनांक** 14.7.19

प्रतिलिपि :– M/S JUSNL, कार्यपालक अभियंता, ट्रांसमिशन प्रमंडल JUSNL, 1st Floor Shringari Complex, Canary Hill Road, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

14.7.2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

14.7.19

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,
Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in, rccf_hzb@yahoo.co.in

पत्रांक : 1834 दिनांक : 09.7.2019.

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजरभूमि विकास बोर्ड
झारखण्ड, रांची।

विषय :– हजारीबाग जिला अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के मौजा–नावाडीह में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.048 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध मे।

प्रसंग:– आपका ज्ञापांक 676 दिनांक 18.06.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबध में सूचित करना है कि विषयक परियोजना में झारखण्ड सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड रांची का पत्र संख्या– वनभूमि–19/2019–2105 व0प0 दिनांक 13.06.2019 द्वारा 13 शर्तो के साथ सैद्धान्तिक सहमति (स्टेज–1) प्रदान की गई है। इस प्रस्ताव में हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के मौजा नावाडीह में ग्रीड सबस्टेशन निर्माण हेतु 4.048 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) का अपयोजन होना है। स्टेज–1 शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग ने अपने पत्रांक 1906 दिनांक 09.07.2019 द्वारा छः प्रतियों में इस कार्यालय को समर्पित किया है। अनुपालन की बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	झारखण्ड सरकार द्वारा लगाये गये शर्त	अनुपालन की स्थिति
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। **अनुलग्नक 1**
2	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202/1995 में दिनांक– 28. 03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 4.048 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस शर्त का अनुपालन करते हुए परियोजना में अपयोजित होने वाली 4.048 हे0 वनभूमि के NPV की राशि रू. 2534048.00, झारखण्ड कैम्पा खाता संख्या– 150727335726226 IFSC code-CORP0000371, Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO complex, Phase 1, Lodhi road, New Delhi- 110003 में ऑनलाईन चालान जेनरेट करते हुए जमा करा दी गई है। **अनुलग्नक 2**
3	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। **अनुलग्नक 3**
4	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। **अनुलग्नक 4**

क्र0 सं0	झारखण्ड सरकार द्वारा लगाये गये शर्त	अनुपालन की स्थिति
5	प्रस्तावति वनभूमि में ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के क्रम में कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 59 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जाएगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों का पातन वन प्रमण्डल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। **अनुलग्नक 5**
6	ग्रिड से जो तार बाहर खींचे जाये, उनमे से सबसे निचले तार की जमीन से उंचाई लगभग 20 फीट रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। **अनुलग्नक 6**
7	ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। **अनुलग्नक 7**
8	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। **अनुलग्नक 8**
9	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। **अनुलग्नक 9**
10	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। **अनुलग्नक 10**
11	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। **अनुलग्नक 11**

Sanju

60

क्र0 सं0	झारखण्ड सरकार द्वारा लगाये गये शर्त	अनुपालन की स्थिति
12	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। **अनुलग्नक 12**
13	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। **अनुलग्नक 13**

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की पांच प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

अनुः–यथोक्त।

Sanjiv 09/7/19

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

(59)

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

झारखण्ड सरकार

वन भवन – 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक 13E-5(3)/2019 :- 1906 दिनांक :- 09/07/19

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय :— हजारीबाग जिला अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के मौजा—नावाडीह में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब—स्टेशन निर्माण हेतु 4.048 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— आपका ज्ञापांक 1568 दिनांक 19.06.2019.

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 2251 दिनांक 06.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयक परियोजना में झारखण्ड सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पत्रांक 2105 दिनांक 13.06.2019 द्वारा स्टेज—1 स्वीकृत्यादेश में लगाये गये शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर अपने मंतव्य संहित सात प्रति में इस कार्यालय में समर्पित किया है।

इस प्रकार स्टेज—1 की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किये गये अनुपालन एवं वचनबद्धता पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल की अनुशंसा से अधोहस्ताक्षरी सहमत होते हुए प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की छः प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

मनोज बाबू
9/7/19

अनु0—यथोक्त।

आपका विश्वासी

वन संरक्षक 9/7/19
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग
पत्रांक 3924
9-7-19

09.07

\\INDIA\d\CFH\F.C. Act\Nawadih Transmission line\13-E-5-3-2019.docx

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 1328 दिनांकः– 06.11.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वंन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **हजारीबाग जिला अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के मौजा–नावाडीह में 132/33 के0भी ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.048 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 3085 दिनाक 18.10.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबध में सूचित करना है कि विषयक परियोजना में झारखण्ड सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड रांची का पत्र संख्या–वनभूमि–19/2019–2105 व0प0 दिनांक 13.06.2019 द्वारा 13 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक सहमति (स्टेज–1) प्रदान की गई है। इस प्रस्ताव में हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के मौजा नावाडीह में ग्रीड सबस्टेशन निर्माण हेतु 4.048 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) का अपयोजन होना है। स्टेज–1 शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय का पत्रांक 809 दिनांक 14.07.2019 द्वारा भवदीय को भेज दी गई है।

पुनः वन विभागीय पत्रांक 2785 दिनांक 24.07.2019 द्वारा पत्र संख्या–वनभूमि–19/2019–2105 व0प0 दिनांक 13.06.2019 के क्रम में एक अतिरिक्त शर्त अधिरोपित की गई है। इस शर्त का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 3085 दिनांक 18.10.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा तीन प्रतियों में इस कार्यालय को समर्पित किया है। अनुपालन की बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0सं0	झारखण्ड सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त	अनुपालन की स्थिति
1	प्रस्तावित परियोजना में पातित होने वाले 59 वृक्षों के दस गुण अर्थात कुल 590 वृक्षों के रोपण एवं रख–रखाव (दस वर्षो के लिए) हेतु आवश्यक राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।'	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने अपने पत्रांक 3085 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सूचित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस शर्त के अनुपालन में कुल 590 वृक्षों के रोपण एवं रख–रखाव (दस वर्षो के लिए) हेतु आवश्यक राशि कुल **37,12,046.00 (सैंतिस लाख बारह हजार छेयालिस) रू मात्र** Ad-hoc कैम्पा खाता संख्या–150727335726765 IFSC code-CORP0000371, Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO complex, Phase 1, Lodhi road, New Delhi- 110003 में ऑनलाइन चालान जेनरेट करते हुए जमा करा दी गई है। **अनुलग्नक–1**

इस प्रकार वन विभागीय पत्रांक वनभूमि–19/2019–2105 व0प0 दिनांक 13.06.2019 द्वारा 13 शर्तों एवं पत्रांक 2785 दिनांक 24.07.2019 द्वारा एक अतिरिक्त अधिरोपित शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज-I में लगाई गई अतिरिक्त अधिरोपित शर्त का अनुपालन प्रतिवेदन की दो प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु अंतिम स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अनु0:-यथोक्त।
अनुपालन दो प्रतियों में।

विश्वासभाजन
ह0/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची।

ज्ञापांक :- दिनांक :

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची।

ज्ञापांक 1328 दिनांक 06.11.19

प्रतिलिपि :- M/S JUSNL, कार्यपालक अभियंता, ट्रांसमिशन प्रमंडल JUSNL, 1st Floor Shringari Complex, Canary Hill Road, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

6.11.2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची।

6.11.19

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,

झारखण्ड सरकार

फोन नं0. 06546-223962, Email- rccf_hzb@yahoo.co.in, rccf-hazaribagh@.gov.in

पत्रांक : 3085 दिनांक : 18.10.2019.

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

विषय :– **हजारीबाग जिला अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के मौजा–नावाडीह में प्रस्तावित 132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.048 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– आपका ज्ञापांक 809 दिनांक 14.07.2019 एवं झारखण्ड सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का ज्ञापांक 2785 दिनांक 24.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के मौजा–नावाडीह में प्रस्तावित 132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.048 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में झारखण्ड सरकार के वन विभागीय पत्रांक 2115 दिनांक 13.06.2019 द्वारा 13 शर्तो के साथ सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। इसका अनुपालन प्रतिवेदन आपके पत्रांक 809 दिनांक 14.07.2019 द्वारा राज्य सरकार को अग्रसारित है।

झारखण्ड सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का ज्ञापांक 2785 दिनांक 24.07.2019 द्वारा स्टेज–I शर्तो के अतिरिक्त एक और शर्त अधिरोपित की गई है :–

'(ढ) प्रस्तावित परियोजना में पातित होने वाले 59 वृक्षों के दस गुणा अर्थात कुल–590 वृक्षों के रोपण एवं रख–रखाव (दस वर्षो के लिए) हेतु आवश्यक राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।''

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग ने अपने पत्रांक 3023 दिनांक 12.10.2019 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 592 दिनांक 01.10.2019 द्वारा सूचित किया है कि उक्त पातित होने वाले 59 वृक्षों के एवज में 10 गुणा अर्थात 590 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं रख–रखाव हेतु (10 वर्षो के लिए) वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल द्वारा मांग की गई राशि के अनुरूप रू0–3712046.00 (सैतीस लाख 12 हजार छियालीस रूपये मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से चलान जेनरेट कर Ad-hoc Campa खाता संख्या–150727335726765 दिनांक 30.09.2019 को जमा कर दिया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग से उक्त जमा राशि का पावती रसीद/चलान की छाया प्रति की तीन प्रति इस पत्र के साथ संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में अपने स्तर से आगे की कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,

अनु0–यथोक्त।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

Nawadih Sub Station dt-18-10-19

(105)

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

झारखण्ड सरकार

वन भवन – 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf.hazaribagh@gmail.com, cfhaz@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक 13E-5(3)/2019 :- 3023 दिनांक :- 12-10-19

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय :– **हजारीबाग जिला अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के मौजा–नावाडीह में प्रस्तावित 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.048 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग:– **वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल का पत्रांक 3554 दिनांक 04.10.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयक परियोजना में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन विभाग के पत्रांक 2785 दिनांक 24.07. 2019 द्वारा स्टेज–1 के अतिरिक्त लगाये गये शर्त यथा **"प्रस्तावित परियोजना में पातित होने वाले 59 वृक्षों के दस गुणा अर्थात कुल 590 वृक्षों के रोपण एवं रख–रखाव (दस वर्षों के लिए) हेतु आवश्यक राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी"** के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल द्वारा निर्गत मांग पत्र के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा e-portal के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा किये गये राशि की पावती रसीद प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल से प्राप्त पावती रसीद/चलान की छायाप्रति की चार प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

आपका विश्वासी

12/10/2019

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

6043
14-10-19

\\India\d\CFH\F.C. Act\Nawadih Transmission line\13-E-5-3-2019.docx

कार्यालयः-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल।
वन भवन-1, हजारीबाग, 825301 (झारखण्ड)
E-mail: dfo-hazaribagheast@gov.in; Telefax No. 06546-272461

झारखण्ड सरकार

पत्रांकः- 3554 दिनांकः- 2/10/19

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल
पत्र संख्या 5227
दिनांक 11.10.19
हजारीबाग (झारखण्ड)

विषयः- जिला हजारीबाग अंतर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के मौजा नावाडीह ग्राम में प्रस्तावित 132/33 के0भी0 ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण हेतु 4.048 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः- वरीय प्रबंधक, संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग का पत्रांक 592 दिनांक 01.10.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के के आलोक में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में विभागीय पत्रांक 2105 दिनांक 13.06.2019 द्वारा प्रदत सैद्धांतिक सहमति में प्रस्तावित परियोजना में पातित होने वाले 59 वृक्षों के दस गुणा अर्थात कुल 590 वृक्षों के रोपण एवं रखरखाव (दस वर्षों के लिए) हेतु आवश्यक राशि से संबंधित बांस गैबियन वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलित राशि 3712046.00 रूपये प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा झारखण्ड कैम्पा खाता में e-portal पर चालान जेनरेट करते हुए चालान के माध्यम से राशि जमा करने हेतु अनुरोध किया गया था।

वरीय प्रबंधक, संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग में अपने प्रासंगीक पत्र द्वारा प्रस्तावित परियोजना में पातित होने वाले 59 वृक्षों के दस गुणा अर्थात कुल 590 वृक्षों के रोपण एवं रख रखाव (दस वषों के लिए) मांगी गई प्राक्कलित राशि 3712046.00 रूपये झारखण्ड कैम्पा खाता में e-portal पर चालान के माध्यम से जमा कर चालान की छायाप्रति इस कार्यालय में समर्पित किया है।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0-यथोक्त।

आपका विश्वासी

4/10/19

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल।

(104)

झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

CIN: U40108JH2013SGC001704
पंजीकृतकार्यालय - एस०एल०डी०सी०भवन, कुसई कॉलोनी, डोरण्डा, रांची- 834002 ,झा.
दूरभाष: 0651-2400804 वेबसाइट:www.jusnl.in

वरीय प्रबंधक का कार्यालय, संचरण प्रमण्डल, हज़ारीबाग
प्रमण्डल कार्यालय: श्रृंगारी काम्प्लेक्स, प्रथम तल, कनहरी हिल पथ, मोंट फोर्ट विद्यालय के निकट, हज़ारीबाग- 825301 ,झा.
ई-मेल :eeetdhzb@gmail.com

पत्रांक: 592 /वरीयप्रबंधक/सं०प्र०, ह०बाग दिनांक: 01 / 10 /2019

प्रेषक,

वरीयप्रबंधक,
संचरण प्रमण्डल, हज़ारीबाग।

सेवामें,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
हज़ारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हज़ारीबाग ।

विषय- जिला हज़ारीबाग अंतर्गत विष्णुगढ़ प्रखंड के मौजा नागाडीह ग्राम में प्रस्तावित १३२/३३ के० वि० ग्रिड सब स्टेशन हेतु 4.048 हे० वन भूमि उपयोजन का प्रस्ताव सैद्धांतिक सहमति में अतिरिक्त अधिरोपित वृक्ष रोपण शर्त हेतु भुगतान किये जाने के सम्बद्ध में।

प्रसंग- 1. आपके कार्यालय का पत्रांक संख्या 3238, दिनांक 06.09.2019
2. प्रस्ताव संख्या – FP/JH/Substation 35726/2018
3. आपका पत्रांक संख्या -1980, दिनांक -24.06.2019
4. इस कार्यालय के पत्रांक संख्या -368, दिनांक -24.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में, वन भूमि उपयोजन की सैद्धांतिक सहमति पत्र संख्या वन भूमि 19/2019-2105 व०प० दिनांक - 13.06.2019 प्राप्त की जा चुकी है, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 368 / वरीय प्रबंधक /सं. प्र. -हजारीबाग , दिनांक -02.07.2019 के द्वारा लगाए गए शर्तो का अनुपालन किया जा चूका है। आपके संदर्भित पत्र संख्या - 3238 दिनांक 06.09.2019 की अनुपालन में पातीत होने वाले वृक्षों की दस गुना वृक्षों के रोपण एवं रख-रखाव (दस वर्ष) हेतु आवश्यक राशि 37,12,046/- (सैंतीस लाख बारह हज़ार छियालिश) रूपये मात्र NEFT/RTGS Ad -HOC CAMPA में जमा करा दी गयी है।

आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु राशि भुगतान की दस्तावेज प्रेषित की जा रही है।

अनु ० - यथावत

4260
3/10/19

विश्वासभाजन
01/10/2019
वरीय प्रबंधक,
संचरण प्रमण्डल, हज़ारीबाग।

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 30-09-2019

Agency Name.	JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED
Application No.	7335726765
MoEF/SG File No.	VANBHUMI-19/2019
Location.	JHARKHAND
Address.	Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited, TransmissiHazaribag
Amount(In Rs)	3712046/-

Amount In Words :Thirty-Seven Lakh Twelve Thousand and Forty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	JHARKHAND CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150727335726765 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 30-09-2019

Agency Name.	JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED
Application No.	7335726765
MoEF/SG File No.	VANBHUMI-19/2019
Location.	JHARKHAND
Address:	Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited, Transmissi Hazaribag
Amount(In Rs)	3712046/-

Amount In Words :Thirty-Seven Lakh Twelve Thousand and Forty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	JHARKHAND CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150727335726765 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

30.9.19
Deputy General Manager
Transmission Circle, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd

Anjani Lata Oeal
30/09/19
Manager (F&A)
Transmission Circle, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd.

STATE BANK OF INDIA

BHSPL19273 637863

01/10/2019

Scanned by CamScanner

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Propsal Detail

1. Proposal No.	:	FP/JH/SubStation/35726/2018
2. Proposal Name	:	Construction of 132/33 KV G/S/S under transmission circle, Hazaribag in village Nawadih, Bishnugarh, Hazaribag, Jharkhand
3. Category of the Proposal	:	Sub Station
4. Date of In-principle	:	26/09/2018

5. Name of the Applicant with Contact Details

Name	:	JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED
Mobile No.	:	9939150265
Email ID	:	eeetdhzb@gmail.com
State	:	Jharkhand
District	:	Hazaribag
Pincode	:	825301

Funds Demand Details

1. Compensatory Afforestation	:	Rs. 3712046/-
2. Additional Compensatory Afforestation	:	Rs. 0/-
3. Penal Compensatory Afforestation	:	Rs. 0/-
4. Catchment Area Treatment	:	Rs. 0/-
5. Safety Zone	:	Rs. 0/-
6. Additional Charges for protected area	:	Rs. 0/-
7. Net Present Value (NPV)	:	Rs. 0/-
8. Other Charges	:	Rs.0/-
9. Other Charges1	:	Rs.0/-
10. Other Charges2	:	Rs.0/-
11. Other Charges3	:	Rs.0/-
Total Amount	:	Rs. 3712046/-

User Agency is requested to make above mentioned payment after generating challan through the system.

(System Administrator)

01/10/2018

Scanned by CamScanner